दिनांक 20 मार्च, 1984

सं. ओ.वि./जी.जी.एन/21/84/10583.—चूंकि राज्यपाल हरियाणा की राय है कि मै० स्टीदरवैल्ज, महरोली रोड, गुड़गावां, के श्रमिक श्री चेत राम तथा उसके प्रबन्धकों के इसमें मध्य इसके बाद लिखित मामले के संबन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क) के अधीन औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मामले श्रमिक तथा प्रबन्धकों के मध्य न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं:—

क्या श्री चेत राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

वी० एस० चौधरी,
उप सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

दिनांक 21 मार्च, 1984

सं.ओ.वि./रोहतक/25-84/10855.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै० एस. आर. जी. इलैक्ट्रीकलज प्रा. लि., बहादुरगढ़ (रोहतक) के श्रमिक श्री कामेश्वर सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641–1–श्रम–70/32573, दिनांक 6–11–1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864–ए.एस.ओ.(ई) श्रम/70/13648, दिनांक 8-5-70 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे संबन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला है :—

क्या श्री कामेश्वर सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

सं. ओ.वि./हिसार/133-83/10878.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि 1. हरियाणा राज्य परिवहन नियन्त्रक, चण्डीगढ़, 2. जनरल मैनेजर, हरियाणा रोडवेज, सिरसा, के श्रमिक श्री देवेन्द्र कुमार तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम-70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ.(ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक, को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री देवेन्द्र कुमार की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ?

एस. के. महेश्वरी,
संयुक्त सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग ।

12318 CS(H)—Govt. Press, U.T. Chd.